

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 95 / 2010
संस्थान दिनांक 22.03.2010

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़,
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. देवराम पिता गंगाराम मण्डलोई, आयु 51 वर्ष
 2. उमेश पिता रमेशचन्द्र यादव, आयु 30 वर्ष
 3. मनोज पिता सुड़किया, आयु 21 वर्ष
 4. किशन पिता रणछोड़, आयु 35 वर्ष ,
 5. रमेश उर्फ शांतिया पिता सिगदार, आयु 35 वर्ष
 6. जितेन्द्र पिता रूखड़िया, आयु 30 वर्ष
 7. सिट्टू उर्फ श्रीराम पिता रूखड़िया, आयु 25 वर्ष
- सभी निवासी-ग्राम बोरलाय, थाना अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 30.06.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 04 / 2010 अंतर्गत 147, 148, 336, 427, 323 भा.द.सं. में दिनांक 22.03.2010 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 04.01.2010 को समय प्रातः लगभग 10 बजे, लोनसरा फाटा ग्राम बोरलाय में बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0146 को पत्थर मारकर उसके कॉच आगे-पीछे, सामने साइट के तथा हेड लाइट व इंडीकेटर को तोड़-फोड़कर बस के स्वामी कैलाश यादव को 40-50 हजार रुपये की रिष्टि कारित करने तथा कैलाश यादव की बस को पत्थर मारकर उसके आगे-पीछे, साइट के कॉच तोड़कर व हेड लाइट व इंडीकेटर तोड़कर 40-50 हजार रुपये की रिष्टि कारित करने उक्त अपराध जमाव के सामान्य उद्देश्य के अग्रसरण में उक्त जमाव या उसके किसी सदस्य द्वारा कारित किया जाना संभाव्य जानते थे और उसके लिए धारा 149 भादस में दायित्वाधीन होने के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 427, 427 / 149 के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि दिनांक 02.12.2014 को प्रकरण के फरियादी शिवनारायण ने अभियुक्तों से भादस की धारा 148, 323, 323/149 के अपराधों के लिए राजीनामा किया है तथा भादस की धारा 427, 427/149 कैलाश यादव के विरुद्ध किये गये अपराध के लिए अभियुक्तों का निर्णय पारित किया जा रहा है। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.01.2010 को फरियादी शिवनारायण बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0146 को खरगोन से बड़वानी सवरी लेकर जा रहा था, बस में परिचालक कैलाश यादव एवं विलनर महेश वास्कले था। लगभग 10 बजे बोरलाय में लोनसरा फाटे के पास बस पहुँची और सवारी उतार रहा था कि अभियुक्त उमेश यादव आया ओर कहने लगा कि बस साईड में खड़ी करो तब फरियादी शिवनारायण ने बस साईड में खड़ी की और उमेश यादव ने वाहन में से चाबी निकाल ली, इतने में अभियुक्त देवराम पाटीदार व 8-10 व्यक्ति हाथों में लकड़ी, पत्थर लेकर एकमत होकर आये व बस पर पथराव करने लगे तथा फरियादी को बस से उतारकर लात-घुसों से मारपीट की। पुलिस ने फरियादी शिवनारायण दी गई सूचना के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 4/2010 अंतर्गत धारा 147, 148, 323, 336, 427 में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 2 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की। अनुसंधान के दौरान फरियादी शिवनारायण की निशांदेही पर घटनास्थल का नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 3 बनाया। पुलिस ने साक्षियों के समक्ष फरियादी शिवनारायण की निशांदेही से बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0146 में हुए नुकसान का नुकसानी पंचनामा प्रदर्शपी 1 बनाया। पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामें बनाये थे। अनुसंधान के दौरान पुलिस ने साक्षीगण महेश पिता हीरालाल, महेश पिता छगनलाल, कैलाश, महेश पिता मोहन, शिवनारायण एवं राहुल के कथन लेखबद्ध किये थे तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग-पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालिन अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 148, 323, 427, 323/149, 323/149 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 04.01.2010 को समय प्रातः लगभग 10 बजे, लोनसरा फाटा ग्राम बोरलाय में बस क्रमांक एम. पी. 46 पी. 0146 को पत्थर मारकर उसके कॉच आगे-पीछे, सामने, साइट के तथा हेड लाइट व इंडीकेटर को तोड़-फोड़कर बस के स्वामी कैलाश यादव को 40-50 हजार रुपये की रिश्ति कारित करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसके अग्रसरण में अभियुक्तों ने या उनमें से किसी ने उक्त बस में तोड़फोड़ करके कैलाश यादव को 40 से 50 हजार रुपये की रिश्ति कारित की ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादी कैलाश (अ.सा.1), शिवनारायण (अ.सा.2), महेश (अ.सा.3), महेश पिता मोहन (अ.सा.4) महेश बर्मन पिता छगनलाल (अ.सा.5) एवं निरीक्षक के.एल. वरकड़े (अ.सा.6) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारण प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणीय प्रश्न के संबंध में फरियादी कैलाश अ.सा.1 का कथन है कि वह अभियुक्तों को जानता हूँ। वह शिवनारायण राठोड़ को भी जानता है। वह बर्मन बस पर परिचालक का काम करता है तथा बस में खरगोन से बड़वानी जा रहा था। बस का क्रमांक ए.म.पी. 46 पी. 0146 था। रास्ते में बोरलाय गाँव में अभियुक्त उमेश यादव एवं अन्य अभियुक्तों ने आकर बस को रोक लिया। बस की चॉबी निकाल ली तथा बस में लाठी एवं पत्थरों से तोड़फोड़ की। घटना के समय बस में 25 से 30 सवारियों थी। अभियुक्तगण ने उनकी बस में इसलिए तोड़फोड़ की थी, क्योंकि एक सप्ताह पूर्व बर्मन बस से साईमंदिर के पास छोटी सी बच्ची की दुर्घटना हो गई थी और उसकी मृत्यु हो गई थी। अभियुक्तों ने उसकी बस में तोड़फोड़ की और बस में आग लगाने को तैयार हो गये। घटनास्थल पर बड़वानी से महेश, लखन यादव तथा विजय आ गये जिन्होंने बस को आग नहीं लगाने दी और वाहन निकालकर ले गये। घटना की रिपोर्ट शिवनारायण और उसने थाना अंजड़ में आकर की थी। अभियुक्तों द्वारा उसकी बस को तोड़फोड़ करने पर बस का लगभग 40 से 50 हजार रुपये का नुसाकन हुआ था जिसका प्रदर्शपी 1 का नुकसानी पंचनामा बनाया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8. अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह उक्त बस का मालिक भी है और परिचालक का कार्य भी करता है। बर्मन बस एसोशिएशन की 10 बसे चलती है। उक्त बसों के दो मालिक हैं जिसका एक स्वयं है तथा दूसरा महेश है। उसकी 6 बसे हैं तथा शेष बसे महेश बर्मन की हैं। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसकी बस का परिमित अंजड़, साईं मंदिर बोरलाय होकर आने-जाने का नहीं है, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के दिन उस दिन बस को बोरलाय से साईं से लेकर गये थे। साक्षी ने स्पष्ट किया कि घटना का समय लगभग 800 से 1000 व्यक्ति इकट्ठा हो गये थे, लेकिन तोड़फोड़ केवल अभियुक्तों ने ही की थीं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि अभियुक्त उमेश ने लोनसरा फाटे के पास बस को सड़क पर आकर बीच में रोका था और पत्थर मारा था। अभियुक्त देवराम एवं सीताराम ने लकड़ी मारी थी तथा शेष अभियुक्तों ने किस वस्तु से मारपीट की थी उसे जानकारी नहीं है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि वह घटना के समय वह बस से 50 मीटर की दूरी पर था। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने पुलिस को प्रदर्शनी 1 में अभियुक्तों के नाम बता दिये थे, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उनकी बसे तेजी एवं लापरवाही से चलती है। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों ने बस में तोड़फोड़ नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया कि वे बस को निर्धारित रूट पर नहीं चलाते हैं अथवा तेजी एवं लापरवाही से चलाते हैं, इसलिए पुलिस एवं जनता ने उन्हें रोका था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त देवराम की भांजी की दुर्घटना होने के कारण वह असत्य कथन कर रहा है।

9. शिवराम असा 2 ने भी अभियुक्तों को पहचानने एवं वर्ष 2010 में कैलाश यादव की बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0146 को रोककर उसके साथ मारपीट करने और बस में तोड़फोड़ करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह कथन है कि बस का नुकसान हुआ था। उसने इस घटना की रिपोर्ट थाने पर लिखाई थी जो प्रदर्शनी 2 है। उसने पुलिस को घटनास्थल बताया था जो प्रदर्शनी 3 है जिसके ए से ए भाग पर उसके स्ताक्षर हैं। साक्षी ने स्पष्ट किया कि बस का मालिक कैलाश यादव असा 1 है। अभियुक्तों की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसने नहीं देखा कि बस में कितना नुकसान हुआ था और क्या तोड़फोड़ हुई थी।

10. महेश पिता हीरालाल असा 3, महेश पिता मोहन असा 4, महेश बर्मन असा 5 ने भी बस क्रमांक एम.पी. 46 पी 0146 पर ग्राम बोरलाय में कुछ व्यक्तियों द्वारा बस की तोड़फोड़ करने तथा बस के कॉच तोड़ने के संबंध में कथन किये हैं, लेकिन साक्षियों ने अभियुक्तों की पहचान घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं की है। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से स्पष्ट इंकार किया कि अभियुक्तों ने उक्त बस में तोड़फोड़ की घटना कारित की थी। महेश पिता मोहन असा 4 ने स्पष्ट किया कि घटना के समय वह बर्मन बस पर विलनर का

कार्य करता था। लोनसरा फाटे पर लोगों की भीड़ लगी थी और भीड़ ने बस में तोड़फोड़ की थी। अभियोजन की ओर से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय बस का मालिक कैलाश भी था और 8-10 व्यक्तियों ने बस पर लाठी एवं पत्थर से हमला किया था। महेश बर्मन असा 5 ने भी भीड़ के व्यक्तियों द्वारा बस में तोड़फोड़ करने के संबंध में कथन किये हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त साक्षीगण जानबूझकर अभियुक्तों से मिलकर उनके पक्ष में असत्य कथन कर रहे हैं जबकि घटना के समय वे उपस्थित थे और जानबूझकर अभियुक्तों की पहचान घटना कारित करने वाले व्यक्तियों के रूप में नहीं कर रहे हैं।

11. के.एल.वरकड़े असा 6 ने दिनांक 28.01.2010 को थाना अंजड़ के उक्त अपराध में अभियुक्तों को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं।

12. इस प्रकरण में बस के मालिक तथा चश्दीद साक्षी कैलाश पिता गणपत असा 1 अभियुक्तों द्वारा उसकी बस को रोककर उसमें तोड़फोड़ करने के संबंध में स्पष्ट कथन किये हैं। साक्षी का प्रतिपरीक्षण के दौरान भी स्पष्ट कथन है कि अभियुक्त उमेश यादव ने लोनसरा फाटे के पास बस को रोका था तथा पत्थर मारा था तथा अभियुक्त देवराम एवं सीताराम ने लकड़ी से मारा था तथा शेष अभियुक्तों ने भी किसी वस्तु से मारपीट की थी। साक्षी का स्पष्ट कथन है कि घटना के समय लगभग 1000 व्यक्ति उपस्थित थे किन्तु तोड़फोड़ केवल अभियुक्तों ने की थी। शिवनारायण असा 2 ने भी अभियुक्तों की पहचान तोड़फोड़ करने वाले व्यक्तियों के रूप में की थी तथा प्रदर्शपी 2 की रिपोर्ट अपने द्वारा लिखाना स्वीकार किया है जिसका कोई भी खण्डन बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में नहीं हुआ है। साक्षियों का यह भी कथन है कि सभी अभियुक्तगण एक साथ आये थे और उन्होंने बस को रोककर बस में पत्थर लकड़ी आदि से तोड़फोड़ की थी। ऐसी स्थिति में यह प्रमाणित होता है कि अभियुक्तों ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर शिवनारायण द्वारा चलाई जा रही बस जिसका कि मालिक कैलाश पिता गणपत यादव असा 1 है, को स्वैच्छया रिष्टि कारित करने का सामान्य उद्देश्य मिलकर निर्मित किया जिसके अनुसारेण में अभियुक्तों ने उक्त बस क्रमांक एम.पी. 46 पी. 0146 में पत्थर लकड़ी आदि से तोड़फोड़ कर बस के मालिक कैलाश तथा शिवनारायण को स्वच्छैया नुकसान कारित किया।

13. अभियुक्तों का उक्त कृत्य भादस की धारा 427/149 का अपराध है जो अभियोजन प्रमाणित करने में पूर्णतः सफल रहा है। अतः यह न्यायालय अभियुक्त देवराम, उमेश, मनोज, किशन, रमेश, जितेन्द्र तथा सिट्टू उर्फ सीताराम को भादस की धारा 427/149 में दोषस्ति घोषित करता है।

14. प्रकरण की परिस्थिति एवं अपराध की प्रकृति को देखते हुए अभियुक्तों को सजा के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

पुनश्च:

15. सजा के प्रश्न पर अभियुक्तगण एवं उनके अधिवक्ता को सुना गया। उनका यह भी निवेदन है कि अभियुक्तगण गरीब, ग्रामीण व अशिक्षित हैं, उन्होंने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है। अतः सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

16. यह सही है कि अभियुक्तगण ने विचारण का नियमित रूप से सामना किया है तथा अभियुक्तों ने शिवनारायण से राजीनामा भी किया है, जिसे देखते हुए अभियुक्तों को कारावास से दण्डित करना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः अभियुक्तों को धारा 427/149 के अपराध में दोषसिद्ध ठहराते हुए न्यायालय उठने तक के कारावास तथा रुपये 1000/-, 1000/- (अक्षरी एक-एक हजार रुपये मात्र) के अर्थदण्ड से दण्डित करता है। अर्थदण्ड की राशि अदा न करने पर अभियुक्तगण एक-एक माह का साधारण कारावास पृथक से भुगतेंगे।

17. अभियुक्तों द्वारा जुर्माना राशि अदा होने पर अपील अवाधि पश्चात् बस मालिक कैलाश पिता गणपत को रुपये 5000/- (अक्षरी पाँच हजार रुपये मात्र) प्रदान किये जाये। अभियुक्तों के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाये।

18. अभियुक्तों के अभिरक्षा में रहने के संबंध में द.प्र.सं. की धारा 428 के प्रमाण पत्र बनाया जाये।

19. अभियुक्तों को निर्णय की एक प्रति निःशुल्क अविलंब दी जाये।

20. प्रकरण में कोई सम्पत्ति जप्त या जमा नहीं है।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बड़वानी

**न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट , अंजड़ (म0प्र0)**

// धारा 428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत //

मैं श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला-बड़वानी म0प्र0 आपराधिक प्रकरण क्रमांक 95/2010 (शासन पुलिस अंजड़ विरुद्ध देवराम आदि) में अभियुक्त की निरोध अवधि का प्रमाण पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत करता हूँ-

अभियुक्त का नाम :- सिट्टू उर्फ श्रीराम पिता रूखड़िया,
आयु 25 वर्ष
निवासी-ग्राम बोरलाय, थाना अंजड़,
जिला बड़वानी म.प्र.

गिरफ्तारी का दिनांक :- 31.01.2010

पुलिस रिमाण्ड की दिनांक :- निरंक

न्यायिक अभिरक्षा में दिनांक :- निरंक दिवस बिताये हैं।

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला-बड़वानी, म0प्र0

